

मूल वाद में डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या-84 /2018

1. हजारी पिता उगमा भील , निवासी बख्तावरपुरा तहसील हुरडा ।

-वादीगण

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील हुरडा ।

-प्रतिवादीगण

प्रेषिति:-

वादपत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से हजारी प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 04.05.2018 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोडार कि आराजी न0 657 किता 1 रकबा 03 बिस्वा भूमि में हजारी 1/9, उगमा 1/9, जीवण 1/9, पिता धन्ना, भैरु पिता धूला भील 1/3 हीरा पिता रामा भील 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावें तथा शेष बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें।

और इसके वाद के खर्च लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

यह आज तारीख 04.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

उपखण्ड अधिकारी
न्यायाधीश
एचं पदमे सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा केंद्र



वादी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना			6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील					
8. स्टाम्प					
योग:-	00	00		00	00